

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन, जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 387/2023 अन्तर्गत धारा 111,128 आर.एल.आर.एक्ट

तालीया बनाम रणजीता व अन्य

पीठासीन अधिकारी - श्री रणछोड़ लाल, आर.ए.एस

प्रार्थी वकील - श्री फताराम गोद्वारा

विप्रार्थीगण वकील - एकतरफा

निर्णय:-


दिनांक - 11.11.2025

प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त में सत्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि उसकी खातेदारी का खेत मौजा गंगुपुरा में खसरा सं. 181/52 रकबा 6.2321 हैक्टर पटवार क्षेत्र गोहड़ का तला तहसील धनाऊ में स्थित है। प्रार्थी के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पड़ोसी है। जिनके खेत प्रार्थी के खेत के पड़ोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काश्त अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते हैं। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी ने अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी करवाने का निवेदन किया है। प्रार्थी की दरखास्त दर्ज की। विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/रजि.नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रार्थी वकील की एकतरफा बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी के वक्त काश्त प्रार्थी व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओ को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। चूंकि प्रार्थी विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज होने के कारण प्रार्थी की दरखास्त स्वीकार किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी की दरखास्त स्वीकार की जाकर विवादित भूमि मौजा गंगुपुरा में खसरा सं. 181/52 रकबा 6.2321 हैक्टर पटवार क्षेत्र गोहड़ का तला तहसील धनाऊ की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार धनाऊ को रूपये 500/- फीस पर कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर को निर्देश दिये जाते हैं कि दोनो पक्षों के रूबरू विधिसम्मत तरीके से नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो। कमीशनर को कमीशनर फीस प्रार्थी मौके पर अदा करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 11.11.2025 को खुले न्यायालय में सरे इजलास सुनाया गया।

पत्रावली फौसला शुमार होकर दाखिल दफतर हो।


(रणछोड़ लाल)
उपखण्ड अधिकारी चौहटन
बाड़मेर जिला
चौहटन